

अस्वीकरण: क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा।

रिपोर्ट योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपील्य क्षेत्राधिकार
सिविल अपील नं० 5139 ऑफ 2019
(एस.एल.पी. नं० 8432 ऑफ 2017 से उत्पन्न)

मेसर्स स्टार वायर (इंडिया) विद्युत प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग

प्रतिवादी

निर्णय

ए.एम. खानविलकर, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई।
2. यह अपील पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश पर आपत्ति करता है, जो उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में सी.डब्ल्यू. पी नं० 25337 ऑफ 2015 (ओ और एम) में 23 नवंबर, 2016 को पारित किया गया था। अपीलार्थी ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय उर्जा प्रमाणपत्र से टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) अधिनियम, 2010 (संक्षेप में, "मुख्य अधिनियम") अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2015 से जारी (संक्षेप में, "इम्यून संशोधित अधिनियम") के चौथे संशोधन को चुनौती दी थी, जिसमें मुख्य अधिनियम को संशोधन करने की मांग थी। अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी आयोग द्वारा 4 अगस्त, 2015 को दिए गए आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसके द्वारा, 1 अप्रैल 2013 से शुरू होने वाले दूसरे नियंत्रण अवधि के लिए सामान्य टैरिफ के निर्धारण के लिए मानदंडों में संशोधन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इम्यून संशोधित अधिनियमों को लागू किया गया था।
3. अपीलकर्ताओं ने 9.90 मेगावाट का स्वतंत्र बायोमास पावर प्लांट स्थापित किया था, जिसे 3 मई, 2013 को व्यावसायिक रूप से चालू घोषित किया गया था। 3 फरवरी, 2011 को मुख्य नियमों को अधिसूचित किया

गया था, जो विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए मानदंडों और मापदंडों को प्रदान करती हैं। मुख्य नियमों के अधिनियम 4 के अनुसार, तीन साल की पहली नियंत्रण अवधि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होनी थी। अधिनियम 4 के तीसरे प्रोविजो में यह स्थिति रखी है कि यदि पहले नियंत्रण अवधि की समाप्ति के बाद अगले नियंत्रण अवधि के लिए नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया था, तो इन नियमों (मुख्य नियमों) के अनुसार टैरिफ मानदंड संशोधित अधिनियमों की अधिसूचना तक लागू रहेंगे बशर्ते कि समायोजन संशोधित अधिनियमों के अनुसार होंगे। चूंकि पहला नियंत्रण काल पहले ही समाप्त हो चुका था, उपयुक्त प्राधिकारी ने संशोधन के लिए खुद कार्यवाही चलाने की प्रक्रिया शुरू की और मुख्य नियमों में चौथे संशोधन का मसौदा जारी किया, जो अधिनियम 4 में संशोधन करने और मुख्य अधिनियमों के अधिनियम 5 को शामिल करने के लिए। यह मसौदा संशोधन 29 दिसंबर 2014 को जारी किया गया था। उसके आधार पर, संबंधित पक्षों ने अपनी प्रतिक्रिया पेश की। सभी संबंधितों को मौका देने के बाद, आयोग ने 4 अगस्त 2015 को एक आदेश पारित किया, जो संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का विश्लेषण करने और उनका निर्णय करने का प्रयास करता है। उक्त आदेश के आधार पर, इम्प्यून संशोधित अधिनियम अधिसूचित किये गये। जिसका प्रभाव अपीलकर्ता नंबर 1 के लिए टैरिफ मानदंडों के समायोजन की प्रयोज्यता को नकारना था, जिसने 03 मई, 2013 को अपना व्यापारिक ऑपरेशन की शुरुआत की थी। इस संशोधन को अपीलकर्ताओं के संबंध में प्रत्याशित प्रभाव से दिया गया है। एक तरफ वित्त वर्ष 2013-14 में दूसरी तरफ वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में, शुरू हुई/शुरू होने वाले परियोजनाओं के बीच वर्गीकरण किया गया है, बिना किसी स्पष्ट भिन्नत या तर्कसंगत आधार पर। इसलिए, ना तो मुख्य अधिनियमों और ना ही इम्प्यून संशोधित अधिनियमों में एक ही नियंत्रण अवधि के दौरान एक विशेष वित्तीय वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कमिशनिंग के आधार पर वर्गीकरण का विचार किया गया है। इसी तरह, अधिनियम इस तरह के भेदभाव पर अलग टैरिफ के निर्धारण की संभावना पर विचार करता है। वास्तव में, प्राधिकरण को अधिनियम 6 के तहत परियोजना विशिष्ट टैरिफ का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि, इस मामले में, आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति निर्विवाद रूप से अधिनियम 4 के संदर्भ में है, जिसकी नियंत्रण अवधि 1 अप्रैल 2013 से शुरू होती है और वित्तीय वर्ष 2016-17 में समाप्त होती है यानि कि 31 मार्च 2017 तक (चार साल की अवधि के लिए), एक सामान्य टैरिफ निर्धारित करने के लिए है।

4. इस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ताओं ने रिट याचिका दायर की और निम्नलिखित राहतें दी जाने की प्रार्थना की:-

प्रार्थना

इसलिए यह बहुत आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय यह कृपा करें:-

(क) प्रतिवादी द्वारा पारित इम्प्यून आदेश दिनांक 04.08.15 (अनुलग्नक पी 2) और इम्प्यून अधिसूचना दिनांक 12.08.15 (अनुलग्नक पी 1) खारिज करने के लिए आदेश या निर्देश

(“certiorari” के रूप में) जारी करने के लिए उचित रिट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस सीमा तक जारी करें कि वही इम्प्यून अधिसूचना की तारीख से संशोधित अधिनियम लागू करने को चाहे ।

(ख) आदेश या निर्देश (“Mandamus” के रूप में) जारी करने के लिए उचित रिट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत जारी करें, जिसके द्वारा प्रतिवादी को निर्देशित किया जाये कि वह दूसरे नियंत्रण अवधि (01.04.13 से प्रभावी) के प्रारंभ होने की तारीख को और से संशोधित नियमों को लागू करे।

(ग) आदेश या निर्देश (“Mandamus” के रूप में) जारी करने के लिए उचित रिट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत जारी करें, जिसके द्वारा प्रतिवादी को निर्देशित किया जाये कि वह दूसरे नियंत्रण अवधि (जो है 01.04.13) के पहले दिन से संशोधित नियमों के अनुसार ही समायोजित करने के बाद संशोधित टैरिफ प्रकाशित करें और आगे अतिदेय राशि पर “carrying cost” की अनुमति दी जाये।

(घ) प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.15 (अनुलग्नक पी 2) और इम्प्यून अधिसूचना दिनांक 12.08.15 (अनुलग्नक पी 1) के ऑपरेशन को “ad interim ex-parte stay” करने के लिए अन्तरिम निर्देश पारित करे।

(ङ.) प्रतिवादी को अग्रिम नोटिस तामील करवाने से छूट दी जाये।

(च) याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका का “कॉस्ट” प्रदान की जाये ।

(छ) अनुलग्नक पी 1 से पी 10 की प्रमाणित प्रतिलिपियां/यथार्थ टाइप कॉपिया की फाइलिंग करने से छूट दी जाये और अनुलग्नकों को फोटो/टाइप की गई प्रतियां रिकॉर्ड पर ले और उसकी [टाइप/प्रमाणित](#) प्रतियों की फाइलिंग से छूट दी जाये ।

(ज) इस तरह के आदेश पारित करें, जो इस माननीय न्यायालय को इस मामले के तथ्यों में सही और उचित लगे।

5. अपीलकर्ताओं ने अपने द्वारा दावा की गई राहत के समर्थन में रिट याचिका में व्यक्त किए गए लगभग तीस आधारों को उठाया । उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि संशोधित अधिनियम किस तरह से मनमाने, अनुचित, मन मौजी और भेदभावपूर्ण है। प्रतिवादी ने विस्तृत जवाब हलफनामा दाखिल करके अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए रुख का खंडन किया मुख्य रूप से दिनांक 04.10.2015 के आयोग द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया, जो प्रमुख नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के संशोधन के लिए आधार था। उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं द्वारा दायर किया गया हलफनामा लगभग 60 पृष्ठों का है (पेपर बुक के खंड 2 का हिस्सा बनाती है) । तदनुसार , रिट याचिका हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष पेश हुई । उच्च

न्यायालय ने इम्प्यून निर्णय में यह नोट किया है कि अपीलकर्ता ने केवल दो विवाद उठाये थे, जो कि इम्प्यून निर्णय के पैराग्राफ 6 से जाना जा सकता है। जो इस प्रकार पढ़ा जा सकता है:-

"6. याचिकाकर्ताओं की शिकायत दो प्रकार से है। सबसे पहले 12.08.15 को संशोधित अधिनियमों की अधिसूचना जारी करने के साथ, एक ही प्रभावी अवधि में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अलग-अलग व्यवहार होगा जैसे कि जिन्होंने वर्ष 2013-2014 में अपनी परियोजनाएं शुरू की थीं और जिन लोगों ने इसके बाद शुरू किया था, उन सबकी नियंत्रण अवधि वर्ष 2013-14 से 2016-17 एक ही रही। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि नियंत्रण अवधि (संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले) में से केवल वित्तीय वर्ष 2013-14 को अलग व्यवहार के लिए अलग किया गया है जो भेदभाव-पूर्ण है। कैसे कथित अधिनियम याचिकाकर्ता को प्रभावित कर रहे हैं, यह विशेष रूप से बताया नहीं गया।"

हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि रिट याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष सीमित तर्क प्रस्तुत किये गये थे। हालाँकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दो बिंदुओं को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने काफी सरसरी तौर पर उचित परिप्रेक्ष्य में मुद्दों का विश्लेषण किए बिना निपटाया है, जैसा कि इम्प्यून फैसले के पैराग्राफ नं० 13 से 15 में करी गई चर्चा में देखा जा सकता है। वह इस प्रकार है:-

"13. यह विवाद में नहीं है कि 31.03.13 को मौजूदा नियंत्रण अवधि की समाप्ति से छह महीने पहले 2010 के नियमों में संशोधन की कवायद शुरू नहीं हुई थी। यह कवायद 2015 में ही शुरू किया गया था। जब सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता कंपनी का भी प्रतिनिधित्व किया गया था। ऑर्डर तारीख 04.08.2015 द्वारा, आयोग ने 2010 के अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी थी। 12.08.2015 को आयोग द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में संशोधित अधिनियमों को अधिसूचित किया गया था। संशोधित अधिनियम के अधिनियम 1(2) प्रदान करता है कि अधिनियम वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक शुरू/शुरू की जाने वाली सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर लागू होंगे, जैसे की चार साल नियंत्रण अवधि प्रदान की गई थी। संशोधित अधिनियमों के अधिनियम 1(3) प्रदान करता है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से शुरू मौजूदा परियोजना के लिए, संशोधित मानदंड संशोधित अधिनियमों की अधिसूचना की तारीख से भावी प्रभाव से लागू होंगे, जब तक अन्यथा संशोधित अधिनियमों में प्रदान नहीं किया जाता। अधिसूचना की तारीख से पहले की अवधि के लिए, 2010 के अधिनियमों के अनुसार मौजूदा मानदंड लागू रहेंगे। आधिकारिक गजट में प्रकाशन की तारीख से संशोधित अधिनियमों को लागू किया जाना था।

संशोधित अधिनियम (4) प्रदान करता है कि दूसरा नियंत्रण अवधि चार वर्ष का होगा, जो वित्तीय वर्ष 2013–14 से शुरू होगा। तीसरा प्राविको उससे प्रदान करता है कि यदि अगले नियंत्रण अवधि के लिए संशोधित अधिनियमों को उस अवधि के प्रारंभ होने से पहले या उससे पहले अधिसूचित नहीं किया गया है, तो संशोधित अधिनियमों के अनुसार टैरिफ मानदंड लागू रहेंगे, जब तक कि संशोधित अधिनियमों और दूसरी नियंत्रण अवधि की अधिसूचना को अगले नियंत्रण अवधि के लिए अधिनियमों की अधिसूचना की तारीख तक बढ़ा ना दिया जाये।

14. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया विवाद यह है कि याचिकाकर्ता कंपनी के संबंध में नियमों का भेदभाव-पूर्ण उपयोग केवल इसलिए है क्योंकि उसने अन्य परियोजनाओं की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में संचालन शुरू कर दिया था और बाकी परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2013–14 के बाद शुरू किया गया था, जो कि महज ही ध्यान दिये गये और रद्द किये गये। हालांकि नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक है, फिर भी, संशोधित अधिनियम स्पष्ट रूप से प्रदान करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2013–14 से मौजूदा परियोजनाओं के लिए, संशोधित अधिनियमों की अधिसूचना की तारीख से, संशोधित मानदंड भावी रूप से लागू होंगे।

15. जहां तक 2010 के अधिनियमों के अधिनियम 4 के तीसरे प्राविको के संदर्भ में संशोधित अधिनियमों के उपयोग के लिए याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए दूसरे तर्क का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि मौजूदा मानदंड , यहां तक कि नियंत्रण अवधि की समाप्ति के बाद की अवधि के लिए भी ,लागू होंगे जब तक कि संशोधित अधिनियमों को अधिसूचित नहीं किया जाता है। हालांकि , यह संशोधित अधिनियमों के अनुसार समायोजन के अधीन होगा। इसका मतलब होगा कि ,समायोजन, यदि कोई हो, संशोधित अधिनियमों की अधिसूचना से पहले की अवधि के लिए संशोधित अधिनियमों में विशेष रूप से प्रदान किया जाना है। अलग-अलग वर्षों के लिए संशोधित अधिनियमों में जहां कहीं भी विशेष शर्तों की गई है, याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह नहीं बताया कि याचिकाकर्ताओं के साथ कैसे भेदभाव हुआ। यह सभी गणनाओं का मामला है, जिसके लिए आयोग द्वारा 04.08.15 को आदेश पारित करते समय तथ्यों की जांच की गई थी, जिसके आधार पर , नियमों में संशोधन किया गया था।”

वास्तव में, इम्प्यून निर्णय के पैरा 13 में केवल कुछ तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान देता है। जो कारण अपीलकर्ताओं द्वारा उठाये गये मुद्दों को नकारात्मक करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया , उसे केवल पैरा नं0 14 और 15 से देखा जा सकता है जो देखने मात्र से पता लगता की इसकी रचना कम से कम गूढ़ है।

6. परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील के माध्यम से इस अदालत के रुख किया है । अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि मुख्य अधिनियम वास्तव में 3 फरवरी, 2011 से 31 मार्च, 2013 तक के नियंत्रण अवधि के लिए लागू होते हैं, लेकिन परिकल्पित है कि संशोधित अधिनियमों की अधिसूचना जारी होने तक यह लागू रहेगा बशर्ते कि समायोजन (Adjustments) संशोधित अधिनियमों के अनुसार होगी। ये अधिनियम एक ब्लॉक अवधि के दौरान या उसके बाद इसका विस्तार अवधि के दौरान लागू रहने तक वित्तीय वर्ष के आधार पर परियोजना के शुरू होने पर कोई अंतर नहीं करता है। अपेक्षाकृत, अधिनियम 4 में उल्लेखित नियंत्रण अवधि उस ब्लॉक अवधि के दौरान और विस्तारित अवधि सहित शुरू करी गई सभी परियोजनाओं को शामिल करती और उनके साथ समान रूप से बर्ताव किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक ही सामान्य टैरिफ योग्य ब्लॉक अवधि के दौरान कमीशन की गई सभी परियोजनाओं पर लागू होगा यानी 3 फरवरी 2011 से 31 मार्च , 2013 तक और संशोधित अधिनियमों के जारी होने तक बशर्ते कि समायोजन (Adjustments) संशोधित अधिनियमों के अनुसार होगी। इसलिए, संशोधित अधिनियमों को मुख्य अधिनियमों की सहायता से पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि ,संशोधित अधिनियम ये आवश्यक बनाती है कि संशोधित अधिनियमों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में चालू किये गये आर.ई परियोजनाओं पर लागू ना किया जाये। जैसा की अपीलकर्ता है, जिसे 3 मई 2013 को शुरू किया गया था। संशोधित अधिनियम 1 अप्रैल 2013 से शुरू होने वाली और 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाली नियंत्रण अवधि के लिए है, जो कि चार साल के लिए है, जिसमें पहले वर्ष को वित्त वर्ष 2013-14 के रूप में परिभाषित किया गया है। इस स्थिति के बावजूद , जो परियोजनाएँ वित्त वर्ष 2013-14 में शुरू हुई है उस पर संशोधित अधिनियमों को लागू करने से संशोधित अधिनियम 1(3) छूट देता है, जोकि इसे इम्प्यून अधिनियमों की अधिसूचना की तारीख 12 अगस्त ,2015 को भावी प्रभाव से लागू करके करता है। जबकि परियोजनाएँ जो वर्ष 2014-15 के दौरान और उसके बाद बिल्कुल वही दूसरी कंट्रोल अवधि के दौरान (जिसको उसमें उल्लेखित किया है) शुरू की गई है, उन्हें कमर्शियल प्रोडक्शन को शुरू करने की तारीख से पूरी अवधि के लिए संशोधित अधिनियमों का लाभ मिलेगा, बिना किसी समझ ना आने लायक अंतर के । दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं को 3 मई 2013 से 12 अगस्त ,2015 की अवधि के लिए संशोधित अधिनियमों के लाभ से वंचित किया गया है। इस तरह से प्रावधान का प्रभाव उन लाभों को ले जाना है, जो अपीलकर्ताओं को मुख्य अधिनियम के अधिनियम 4 से प्राप्त है, जो यह बताता है कि मुख्य अधिनियमों के अनुसार टैरिफ मानदंड संशोधित अधिनियमों के अधिसूचना तक लागू रहेंगे बशर्ते कि समायोजन संशोधित अधिनियमों के अनुसार हों । इसके परिणामस्वरूप, इम्प्यून संशोधित अधिनियम समान रूप से रखे गए

व्यक्तियों के बीच भेदभाव के अवगुण से ग्रस्त है, जैसा कि संशोधित अधिनियमों द्वारा शासित दूसरी नियंत्रण अवधि के ब्लॉक के दौरान शुरू की गई परियोजनाएँ, जिसमें समझ में आने लायक अंतर ना हो। हमें अन्य तर्कों पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, जो या तो उपरोक्त बिंदुओं को पुख्ता बनाने के लिए है या अगर हम ऐसा कह सकते हैं, तथ्यात्मक पहलुओं के संदर्भ में एक ही तर्क के दूसरे रूप में, जो उसकी जांच के लिए उपयुक्त हो। तर्क का सार यह है कि अपीलकर्ताओं को समायोजन प्राप्त करने के अपने अधिकार से वंचित किया गया है, जैसे परियोजनाओं को उसी नियंत्रण अवधि में शुरू करने में प्राप्त हुआ और मुख्य अधिनियमों के अधिनियम 4 के तीसरे प्रोविजों में शर्त के बावजूद। चूंकि, 12 अगस्त, 2015 को इम्प्यून अधिनियमों को अधिसूचित किया गया था, इसलिए, अधिनियम 4 के संदर्भ से अपीलकर्ताओं को मिले हुए अधिकार 3 मई 2013 को अपनी परियोजना शुरू करने से प्रभावी होंगे क्योंकि मुख्य अधिनियम अभी भी लागू थे। फलित अधिकार को छिनने का कानून में इजाजत नहीं है। इसके अलावा, इम्प्यून संशोधित अधिनियम, *ex facie*, एक ही नियंत्रण अवधि के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं के बीच भेदभाव करते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च 2017 तक दूसरी नियंत्रण अवधि में वित्तीय वर्ष 2013-14 में चालू की गई परियोजनाओं को एकल चुनना। समान नियंत्रण अवधि के दौरान कमीशन की गई परियोजनाओं के संबंध में इस तरह का वर्गीकरण के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा, एक ही नियंत्रण अवधि के दौरान कोई दो टैरिफ नहीं चल सकते हैं। उस में, एक ही नियंत्रण अवधि के विषय में टैरिफ के दो सेटों को निर्धारित करने के लिए कोई एक्सप्रेस प्रावधान मुख्य अधिनियमों या इम्प्यून संशोधित अधिनियमों में नहीं पाया गया है। इसलिए, इम्प्यून संशोधित अधिनियमों में किए जाने वाले वर्गीकरण का समर्थन नहीं किया जा सकता।

7. वास्तव में, उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के इम्प्यून फैसले का जोरदार समर्थन किया है और दावा करेगा कि इम्प्यून नोटिफिकेशन में शामिल प्रावधान आयोग द्वारा 4 अगस्त, 2015 को पारित आदेश की अभिव्यक्ति है। आयोग ने उक्त आदेश पारित करने से पहले मामले के सभी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण किया था। दूसरे शब्दों में, उत्तरदाताओं ने मानदंडों (1 अप्रैल, 2013 से शुरू होने वाले दूसरे नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ संचालन के लिए) के संशोधन के लिए आयोग द्वारा किए गए “*Suo moto*” में किए गए विश्लेषण से समर्थन प्राप्त किया है। यह आदेश 100 से अधिक पृष्ठों तक टाइप किया गया है और टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रत्येक “हेड” के संबंध में संशोधन की आवश्यकता का विश्लेषण किया है। अपीलकर्ताओं ने उक्त कार्यवाही में भाग लिया था। हालाँकि, अपीलकर्ताओं द्वारा लिए गये रुख आयोग को उचित नहीं लगा, जैसा कि 4 अगस्त, 2015 को उनके द्वारा पारित आदेश में हुई चर्चा से पता लगता है। इसके अलावा, समीक्षा के माध्यम से अपीलकर्ता आयोग पास आ सकता है, अगर अपीलकर्ता के पास उक्त आदेश में आयोग द्वारा किए गए विचार के संबंध में कोई संदेह है। अपीलकर्ता के लिए उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए भी पुरा मौका है। फिर भी, इस तरह के उपायों का सहारा लिए बिना, अपीलकर्ताओं ने रिट

याचिका दायर करने का विकल्प चुना और उन आधारों को उठाया, जो आयोग द्वारा पारित 4 अगस्त, 2015 के आदेश में दर्ज की गई चर्चा की रोशनी में असमर्थनीय है। यह निश्चित रूप से द्वेष भेदभाव का मामला नहीं है, जब इन तथ्यों पर विचार किया गया कि आयोग ने वास्तविक कारणों को दर्ज किया है कि क्यों संशोधित अधिनियमों को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान शुरू करी गई परियोजनाओं के संबंध में भावी प्रभाव से लागू करने की जरूरत थी। यह आग्रह किया जाता है कि अधिनियमों की बनाने वाली शक्ति का प्रयोग चाहे वह मुख्य अधिनियम हो या इम्यून संशोधित अधिनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 साथ पढ़े धारा 181 के संबंध में उपयुक्त अवधि के दौरान परियोजना की शुरू होने की तारीख के आधार पर वर्गीकरण की अनुमति देता है और निस्सन्देह एक ही नियंत्रण अवधि के दौरान टैरिफ के दो सेट प्रदान करेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही उच्च न्यायालय का इम्यून निर्णय संक्षिप्त है, लेकिन उसमें पहुंचे गये निष्कर्ष साधारण है और इसलिए, इस अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. इम्यून निर्णय को पढ़ने के बाद, हमें यह विचार लेने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय ने साफ दिखाई देने वाली त्रुटि करी है या प्रकार से कहे कि अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए उपयुक्त मुद्दों पर निर्णय लेने में अपने निहित अधिकार क्षेत्र प्रयोग करने में विफल रहा है। इम्यून निर्णय में, मुश्किल से उस संबंध में समझ आने लायक कोई चर्चा की गई है। अगर हम इस प्रकार कहे, यह छुपा हुआ है और न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। हम ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 9 तक केवल प्रतिद्वंदी रुख को फिर से प्रस्तुत किया गया है। पैराग्राफ 11 प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करता है। पैराग्राफ 12 इस केस से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन है। पैराग्राफ 13, मुख्य रूप से मुख्य अधिनियमों और इम्यून संशोधित अधिनियमों में प्रावधानों के अर्थ को बताता है। चुनौती के गुणों के संबंध में चर्चा, केवल पैराग्राफ संख्या नं० 14 और 15 से पता चलता है, जो अभी तक यहाँ फिर से प्रस्तुत की गई है। पैराग्राफ 14 को भले ही ठीक से विश्लेषण किया गया हो, केवल अपीलकर्ता कंपनी के संबंध में अधिनियमों के भेदभावपूर्ण उपयोग के तर्क को बताता है और उसी को अस्वीकार करने के लिए बढ़ता है। कोई तर्क को निकाला नहीं जा सकता कि बहुमुखी मुद्दों के होने के बावजूद आखिर कैसे अदालत को तर्क खारिज करने के लिए राजी किया गया था। उक्त पैराग्राफ में दूसरा वाक्य फिर रिकॉर्ड करने के लिए बढ़ता है कि नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2013-14 से हो, फिर भी, इम्यून संशोधित अधिनियमों ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में शुरू करी गई परियोजनाएँ पर संशोधित मानदंडों को इम्यून संशोधित अधिनियमों की अधिसूचना की तारीख से भावी प्रभाव से इस्तेमाल करने की परिकल्पना की है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने इम्यून संशोधित अधिनियमों की वैधता के बारे में चुनौती के आधारों का विश्लेषण नहीं किया है और ना ही इस तरह के अधिनियम को तैयार करने की योग्यता को ठीक से विश्लेषण किया है। असाधारण रूप से, उच्च न्यायालय सीधे मुख्य अधिनियमों के तीसरे प्रोवीजो के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए दूसरे विवाद की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, जो संशोधित अधिनियमों के अनुसार समायोजन प्रदान करती है। अदालत ने केवल

यह नोट किया है कि अपीलकर्ता मुख्य अधिनियमों से प्राप्त होने वाले लाभ से बाहर होने के कारण हुए भेदभाव पर ध्यान दिलाने पर विफल रहा। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं ने रिट याचिका में उनके द्वारा उठाए गये विशिष्ट मुद्दों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और जो कमीशन के आदेश दिनांक 4 अगस्त, 2015 में नोट किया गया है और अतिरिक्त तौर पर विशेष अनुमति याचिका के दलील नं० 8 में व्यक्त किया है, जो मुख्य अधिनियमों और इम्प्यून संशोधित अधिनियमों के अनुसार लागू मानदंडों के बारे में बहुत अधिक असमानता का संकेत तुलनात्मक चार्ट देता है। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता द्वारा पक्षपात के तर्क को विस्तार से उठाया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय उससे निपटने में विफल रहा है, जो कम से कम भी संतोषजनक नहीं है। इसी प्रकार, इम्प्यून संशोधित अधिनियमों की वैधता और इस तरह के अधिनियमों को तैयार करने की योग्यता के बारे में विस्तार से तर्क उच्च न्यायालय द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया है।

9. मैं केवल यही कहूँगा कि दो पैराग्राफ (पैरा 14 और 15) में की गई चर्चा, बिना बढ़ाए चढ़ाए कहे तो, सिर्फ रिट याचिका को लापरवाह तरीके से ठिकाने का कार्य है। इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए, हमारा सुविचारित राय है कि यह उचित होगा कि पक्षकारों को फिर से उच्च न्यायालय के समक्ष भेजा जाये, जहाँ रिट याचिका पर कानून के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर नए सिरे से विचार किया जाये। हम इम्प्यून संशोधित अधिनियमों के संबंध में किसी भी तरफ राय देने से परहेज करते हैं, चाहे वो विवाद के गुण हों या चुनौती की बुनियाद हो। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं द्वारा रखे गये मामले में सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करना चाहिए और कानून के अनुसार उचित तरीके से निपटना चाहिए।

10. रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए, हमें इस अदालत की संवैधानिक पीठ के निर्णय पर ध्यान देना चाहिए, जो "पीटीसी इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय बिजली अधिनियम आयोग, सचिव के माध्यम से" में ध्यान देना चाहिए, जिसने पाया है कि अधिनियमों की वैधता के लिए चुनौती केवल अदालतों के समक्ष न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही में तय की जा सकती है और अपील या समीक्षा के माध्यम से नहीं। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह के उपचार का आह्वान किया है कि इस संबंध में अपीलकर्ता के लिए उपलब्ध सभी दलीलें उचित परिप्रेक्ष्य में उनका फैसला होना चाहिए। आयोग द्वारा पारित विस्तृत आदेश की प्रकृति, जो संशोधित अधिनियमों के निर्धारण के साथ समाप्त हुई, उसको चुनौती देने के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय भारत के संविधान द्वारा प्राप्त अनुच्छेद 226/227 के तहत एक रिट याचिका है।

11. तदनुसार, इस अपील को अनुमति दी जाती है। इम्प्यून निर्णय और आदेश को खारीज किया जाता है। सीडब्लूपी नंबर 285337 (ओ एंड एम) को उसके असल नंबर में उच्च न्यायालय की फाईल में बहाल किया

जाये, ताकि उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर नए सिरे से विचार किया जाये। सभी लंबीत आवेदनों का निस्तारण किया जाये। खर्च के लिए कोई आदेश नहीं है।

.....न्यायाधीश.
ए.एम. खानविलकर,

.....न्यायाधीश.
अजय रस्तोगी ,

नई दिल्ली
जुलाई 2, 2019

XXXXXXXXXX

अस्वीकरण: क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा।

Disclaimer:-The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the filed for the purpose of execution and implementation.

Translated by Shri Lekh Nath Gautam ,Translator and Typed by Neeraj Kumar Mishra. Senior Assistant.